न्यायालयः सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,इन्दौर म0प्र0
(समक्षः आशिता श्रीवास्तव)

सत्र प्रकरण कमांक 615/16
संस्थापन दिनांक 15.09.16

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
आजाद नगर इन्दौर म0प्र0 ----------अभियोगी

**विरूद्ध**

1. पारस पिता मनोहर मालवीय
उम्र 30 साल धंधाः मजदूरी
निवासीः बुरानाखेड़ी तहसील जावर
थाना सिद्धकगंज जिला सिहोर

2. श्रीमती पूजा पति पारस
उम्र 23 साल धंधा–खेती
निवासीः श्रीराम नगर मुसाखेड़ी इंदौर
हाल मुकाम बुरानखेड़ी जावर
पी0एस0 सिद्धकगंज जिला सिहोर

---------अभियुक्तगण

---

शासन द्वारा श्री अभिजीतसिंह राठौर अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण द्वारा श्री विकास यादव अधिवक्ता।

---

**:::// निर्णय//:::**
**(आज दिनांक 21.02.18 को घोषित)**

**01.** आरक्षी केन्द्र आजाद नगर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 सपठित 34, 506(2) भा.द.वि. के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.06.16 को लगभग 11 बजे मुकाम डी.पी.वाली गली राम नगर इंदोर में सहअभियुकत एवं एक अन्य अज्ञात अभियुक्त भीमसिंह की मृत्यु कारित करने का आपराधिक कृत्य का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में भीमसिंह की मृत्यु कारित करने के आशय से या ज्ञान के साथ–साथ ऐसी परिस्थितियों में ईंट पत्थर से मारकर उपहति कारित किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते एवं भीमसिंह को अभित्रस्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त कर आपराधिक अभित्रास किया।

02. अभियोजन का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.06.16 के 11 बजे की डीपी वाली गली राम नगर मूसाखेड़ी इंदौर की है। दिनांक 06.06.16 को करीब 20 बजे रामनगर डीपी वाली गली इंदौर पर फरियादी संतोष

पिता शिवकरण द्वारा इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई कि वह राम नगर मुसाखेड़ी इंदौर में रहता है तथा राम नगर में बर्तन गैस चुल्हे आदि की दुकान है। दिनांक 06.06.16 के करीबन 11 बजे की बात है। मोहल्ले में एक अज्ञात व्यक्ति को दो अज्ञात व्यक्ति एवं पूजा जान से मारने की नियत से ईंट पत्थरों से मारपीट कर रहे थे तथा मां बहन की नंगी नंगी गालियां देरहे थे जो सुनने में बुरी लग रही थी। वह तथा मोहल्ले के आसपास के लोग चिल्लाये व इकट्ठा हो गये तो मारने वाले दोनों व्यक्ति एवं पूजा नाले तरफ भाग गये भागते समय धमकी देकर गये कि आज तो बच गया आईंदा पूजा के यहां आया तो जान से खत्म कर देंगे जिस व्यक्ति को चोट लगी थी वे व्यक्ति बेहोश होकर वहीं गिर गया था उसका मोबाईल मौके पर ही छूट गया था। मोबाईल पर दिये हुये नंबर पर लगाकर पता किया तो उस व्यक्ति का नाम भीमसिंह निवासी बलियाखेड़ी जिला सिहोर का होना बताया। मोहल्ले के लोगों से मालूम पड़ा कि भीमसिंह मालवीय पूजा पति पारस जो किराये से राम नगर में रहती है, के घर आया था जिस व्यक्ति ने भीमसिंह ने उपर जान से मारने की नियत से हमला किया वह दोनों भी पूजा के पास खड़े थे। मारने वाले व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान लेंगे। घटना के बाद पूजा और दोनों व्यक्ति मौके से भाग गये। फरियादी संतोष के बताये अनुसार मौके पर प्रदर्शपी–1 की देहाती नालसी लेखबद्ध की गई जिसके आधार पर थाने पर अपराध कमांक 184/16 के तहत प्रदर्शपी–20 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

03. प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी संतोष की निशानदेही पर घ टना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी–2 बनाया गया एवं घटना स्थल से ईंट के दो टुकड़े, घटना स्थल पर पड़े हुये खून को रूई से संकलित कर वह सादा रूई प्लास्टिक की डिब्बी में बंद कर गवाहों के समक्ष प्रदर्शपी–9 का जप्ती पत्रक तैयार किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 10.06.16 को गवाहों के समक्ष अभियुक्त पारस एवं पूजा को गिरफ्तार कर गिफ्तारी पंचनामा प्रदर्शपी–14 व 15 तैयार किया गया एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पश्चात प्रदर्शपी–16 के पत्र द्वारा उनके परिजनों को गिरफ्तारी कीसूचना दी गई। विवेचना के दौरान साक्षी उमेश, संतोष, संजीव, अरविंद, कंचन उर्फ सूरज, मोहित, गोखलबाई, अंबाराम, भीमसिंह और संदीप के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान दिनांक 21.06.16 को एम.वाय.अस्पताल में आहत भीमसिंह की खून आलूदा शर्ट उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी–5 बनाया गया। विवचेना के दौरान प्रदर्शपी–9

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/निजी उपयोग हेतु अमान्य)
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/निजी उपयोग हेतु अमान्य)

के अनुसार जप्त शुदा रूई, सादा रूई दो रक्तयुक्त ईंट के टुकडे एवं आहत की रक्त युक्त शर्ट एफ.एस.एल जांच हेतु प्रदर्शपी–17 के ड्राफ्ट द्वारा जांच हेतु भेजी गई। विवेचना के दौरान दिनांक 07.06.16 को घायल भीमसिंह के कथन देने की स्थिति जानने हेतु चिकित्सक से लिखित अभिमत प्रदर्शपी–19 का प्राप्त किया एवं घायल भीमसिंह के ईलाज संबंधित दस्तावेज एम.वाय.अस्पताल से बेडहेड टिकिट कुल 45 पृष्ठों में एवं अरविंदो अस्पताल से 18 पेज प्राप्त किये गये एवं अन्य आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने से अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मामले का अन्ययतः श्रवणाधिकार सत्र न्यायालय को होना पाते हुये मामले को माननीय सत्र न्यायाधीश इंदौर को उपार्पित किया गया तदोपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा इस सत्रप्रकरण को विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

05. तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को धारा 307 सपठित 34, 506(2) भा.द.वि. के तहत आवश्यक दोषारोपण किये जाने पर उन्होंने अपराध कराना अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किये जाने पर उन्होंने व्यक्त किया है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया जाना बताया है।

06. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अभियोजन साक्षी संतोष अ.सा.01, भीमसिंह अ.सा.02, मोहित गोंदेनिया अ.सा.03, गोखलबाई अ.सा.04, अरविंद अ.सा.05, सूरज उर्फ कंचन अ.सा.06, संदीप कटारिया अ.सा.07, संजीतसिंह अ.सा.08, उमेश गोंदनिया अ.सा.09, अम्बाराम खंडालिया अ.सा.10, डॉ. श्रीमती शारदा अ.सा.11, उप निरीक्षक आर.एस.तिवारी अ.सा.12, उपनिरीक्षक राजेश डावर अ.सा.13, डॉ.राकेश गुप्ता अ.सा.14, शिवनाथसिंह अ.सा.15, डॉ. नरेन्द्र अ.सा.16, सिद्धनाथ अ.सा.17 के कथन कराये है।

07. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न ये है कि–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.06.16 को लगभग 11 बजे मुकाम डी.पी.वाली गली राम नगर इंदौर में सहअभियुक्त एवं एक अन्य अज्ञात अभियुक्त भीमसिंह की मृत्यु कारित करने का आपराधिक कृत्य का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में भीमसिंह की मृत्यु कारित करने के आशय से या ज्ञान के साथ–साथ ऐसी परिस्थितियों में ईंट पत्थर से मारकर उपहति कारित किया कि यदि

सामान्य ज्ञानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

उसकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते?

2. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर भीमसिंह को अभित्रस्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त कर आपराधिक अभित्रास किया?

**// सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सनिष्कर्ष //**

08. दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे पर अन्यायोश्रित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

09. चिकित्सक श्रीमती शारदा मैत्रा अ.सा.11 ने अपने परिसाक्ष्य में व्यक्त किया है कि दिनांक 06.06.16 को वह एम.वाय.अस्पताल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ होकर ड्यूटी पर थी। उक्त दिनांक को अज्ञात आहत को एम्बुलेंस 108 से परीक्षण हेतु लेकर आये थे जिसे उन्होंने रामनगर मूसाखेड़ी में पाया था। परीक्षण पर पाया कि उसकी सामान्य स्थिति खराब थी वह मूर्छित अवस्था में था। आहत का परीक्षण कर उन्होंने निम्न चोटें पाई थी–

1. एक खरोच 3 से.मी. गुणित 2 से.मी बांये गाल पर पाया था जो कि लाल रंग का था।
2. फटा हुआ घाव कपाल के दांये तरफ 7 से.मी. गुणित 2 से.मी. थी।
3. फटा हुआ घाव फ्रंटलरिजन में 6 से.मी. गुणित 2 से.मी. था।
4. फटा हुआ घाव फ्रंटलरिजन में 2 से.मी. जो कि चोट नंबर 3 के बाहरी तरफ 2 से.मी. गुणित 1 से.मी था।
5. नाक में खून के थक्के मौजूद थे।
6. डिफ्यूज स्वेलिंगबांयी आंख के आसपास मौजूद था।

10. आहत को आई उक्त सभी चोटें परीक्षण के 24 घंटे के अंदर आना प्रतीत होकर सख्त एवं बोथरे वस्तु से आना संभावित थी। उनके द्वारा आहत की तैयार की गई एम.एल.सी रिपोर्ट प्रदर्शपी–13 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। उन्होंने आहत को सर्जरी विभाग, नेत्र विभाग, नाक,कान,गला विभाग को उपचार व अभिमत के लिये रेफर किया था।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

11. अरविंदो अस्पताल इंदौर के चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता अ.सा.14 का कथन है कि दिनांक 23.06.16 को वे अरविंदो अस्पताल में न्यू सर्जन के पद पर कार्यरत थे। उक्त दिनांक को मरीज भीमसिंह खंडारे उम्र 45 वर्ष निवासी पालियाखेड़ी आष्टा को ईलाज के लिये अस्पताल लाया गया था उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 06.06.16 को रात 10 बजे मरीज के उपर हमला किया गया था और उसे पहले एम.वाय.अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहां से दिनांक 23.06.16 को आगे के ईलाज के लिये मरीज को अरविंदो अस्पताल में सिफ्ट किया गया। परीक्षण के समय मरीज बेहोश अवस्था में था तेज आवाज देने पर आंखे खोलता था मरीज की एम.आर.आई की जांच कराने पर उसके दिमाग में अंदरूनी हिस्सों में राईट पैराईटल टेंपोरल एवं सैरीब्रल में डिफ्यूज एक्जोनल इंजूरी पाई गई। धीरे–धीरे मरीज की हालत में कुछ सुधार होने पर उसे दिनांक 05.07.16 को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी छुट्टी के समय मरीज की स्थिती स्टेबल थी वह कुछ शब्द बोल पा रहा था एवं आंखे खोलता था। मरीज भीमसिंह का उनके यूनिट द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्शपी–21 है जिसके ए से ए भाग पर उनके अधिनस्थ कार्यरत डॉ. गौरव जाटव के हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है। मरीज भीमसिंह के अरविंदो अस्पताल में ईलाज के दौरान कराई गई जांच की रिपोर्ट्स प्रदर्शपी–22 लगायत 38 है।

12. विवेचक उप निरीक्षक आर.एस.तिवारी अ.सा.12 द्वारा घायल भीमसिंह के ईलाज से संबंधित दस्तावेज एम.वाय. अस्पताल से बेडहेड टिकिट कुल 45 पेजों में एवं अरविंदों अस्पताल से 18 पेज प्राप्त कर अभियोगपत्र के साथ संलग्न करना बताया है।

13. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शपी–13 की एम.एल.सी रिपोर्ट प्रकरण के फरियादी आहत भीमसिंह की होना बताते हुये प्रस्तुत की गई है। बचाव पक्ष द्वारा भी इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है कि प्रदर्शपी–13 की एम.एल.सी रिपोर्ट फरियादी भीमसिंह की नहीं है तथा चिकित्सक डॉ. श्रीमती शारदा मैत्रा अ.सा.11, डॉ. राकेश गुप्ता अ.सा.14 एवं विवेचन की उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट है कि प्रदर्शपी–13 की एम.एल.सी रिपोर्ट प्रकरण के फरियादी

(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अप्रमाणित) सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि

आहत भीमसिंह की है जो घटन दिनांक 06.06.16 को घायल अवस्था में एम.वाय. अस्पताल में भर्ती हुआ था और आगे ईलाज के लिये अरविंदो अस्पताल में भर्ती हुआ था। चिकित्सक डॉ. शरदा मैत्रा द्वारा आहत भीमसिंह के शरीर पर परीक्षण के दौरान पाई गई चोटों का कोई खंडन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है एवं चिकित्सीय साक्षी स्वतंत्र साक्षी है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक 06.06.16 को फरियादी भीमसिंह के शरीर पर चिकित्सक के बताये अनुसार उपरोक्त चोटें मौजूद थी। अतः अब यह देखा जाना है कि क्या उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के तहत पहुंचाई गई है।

14. फरियादी भीमसिंह अ.सा.02 ने अपने परिसाक्ष्य में व्यक्त किया है कि वह अभियुकत पारस और पूजा को पहचानता है उनके साथ दो–तीन अन्य लोग थे जिन्हें वह नहीं जानता। दिनांक 05.06.16 को वह अपने काका दरयावसिंह के घर इंदौर आया था और रात भर वहीं रूका। वह अभियुक्त पूजा के घर मूसाखेड़ी उसका समाचार लेने उसके घर गया था। पूजा अपने घर पर गेट के पास खड़ी थी और अभियुक्त पारस घर के अंदर था। अभियुक्त पारस घ ार से बाहर दौड़ता हुआ आया और उसे गालियां देने लगा उसने पारस से कहा कि वह गलत बात करने नहीं आया है। पूजा गांव के नाते उसकी बहन लगती है इसलिये वह आया है तभी अभियुक्त पारस ने उसके सिर पर पत्थर उठाकर मार दिया और अभियुक्त पूजा ने भी उसे सिर पर ईंट मारी। चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया था। घटना स्थल पर दो–तीन अन्य व्यक्ति थे जिन्हें वह नहीं पहचानता। घटना के दो–तीन महीने बाद उसे होश आया था।

15. अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के संबंध में देहाती नालसी संतोष पिता शिवकरण मालवीय द्वारा लिखाई गई है। संतोष अ.सा.01 ने अपने परिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को आहत भीमसिंह को नहीं जानना बताया है। घटना के संबंध में साक्षी का कथन है कि घटना दिनांक को दोपहर के समय वह राम नगर अपने घर से निकलकर बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था तो देखा कि एक व्यक्ति नीचे मूर्छित अवस्था में पड़ा था और वहां पर भीड़ लगी थी, भीड़ में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे कि झगड़ा हुआ था किंतु उसने नहीं देखा कि झगड़ा किनके मध्य हुआ था और उसने मूर्छित व्यक्ति के साथ किसी को मारपीट करते

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (व्यावसायिक उपयोग हेतु अमान्य)

नहीं देखा, किसी ने 108 एम्बुलेंस बुलवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया था। मौके पर पुलिस आ गई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी–1 की देहाती नालसी पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना व्यक्त किया है किंतु साक्षी का कथन है कि उसने घटना की रिपोर्ट नहीं लिखाई और पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी साक्षी ने प्रदर्शपी–1 की देहाती नालसी में लिखे तथ्यों को लिखाने से इन्कार किया है।

16. साक्षी मोहित अ.सा.03 का कथन है कि दिनांक 06.06.16 की घटना है। करीब दिन के 11 बजे वह अपने भाई के कमरे में था घर के बाहर भीड़ लगी थी, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी वह नीचे देखने गया तो देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर ओंधे मुंह खून से लतपथ पड़ा था फिर वहां उपस्थित लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस मौके पर आई और घायल को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गये। साक्षी ने घटना अपने समक्ष नहीं होना व्यक्त किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने पुलिस को पुलिस कथन प्रदर्शपी–4 में यह बताने से इन्कार किया है कि पूजा और उसके पति ने घायल के साथ झगड़ा गाली–गलोच की थी और जान से मारने की नियत से पत्थरों से उसे मारा था तथा जान से मारने की धमकी दी थी और यह बात भी बताने से इन्कार किया है कि मोहल्ले के लोगों से पता चला था कि भीमसिंह से पूजा को छेड़खानी की बात को लेकर विवाद हुआ था और इस पर से पूजा और उसके पति पारस ने जान से मारने की नियत से आहत को सिर पर मारकर हमला किया था।

17. आहत भीमसिंह की पत्नी गोखलबाई अ.सा.04 के कथनानुसार वह घटना स्थल पर नहीं थी। साक्षी का कथन है कि उसके पति भीमसिंह 05.06.16 को इंदौर उसके काका ससुर के घर आये थे और रात को उसके घर रूके थे और 06.06.16 को सुबह 10 बजे मूसाखेड़ी अभियुक्त पूजा के घर गये थे और जब पूजा उसके पति से बात कर रही थी तभी उसका पति पारस घर से निकलकर बाहर आया और गाली गलोच करने लगा। अभियुक्त पारस ने उसके पति को सिर पर पत्थर मारा और पूजा ने भी उसके पति को ईंट से सिर पर मार दिया जिससे उसके पति बेहोश हो गये थे फिर वहां से उसके पति को

अस्पताल ले जाया गया था। सास के फोन करने पर वह इंदौर एम.वाय. अस्पताल गई थी तो देखा कि उसके पति भीमसिंह अस्पताल में बेहोश पड़े थे और किसी को पहचान नहीं रहे थे।

18. साक्षी उमेश गोंदनिया अ0सा.09 के कथनानुसार अभियुक्तगण उसके घर के सामने रहते थे। घटना दिनांक को वह अपने घर के अंदर था शोर–शराबा होने पर उसने घर से बाहर आकर देखा कि वहां पर एक आदमी जमीन पर घायल अवस्था पर पड़ा हुआ था और वहां पर लोग इकट्ठा हो गये थे, लोगों ने पुलिस को सूचना दी वहां 108 एम्बुलेंस आई थी और घायल को लेकर चली गई थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी–11 में लिखे तथ्य पुलिस को बताने से इन्कार किया है किंतु इस बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की है कि घटना दिनांक को पूजा और पारस के द्वार एक व्यक्ति आया था जिससे अभियुक्तगण झगड़ा करने लगे थे और फिर दोनों अभियुक्तगण ने उस व्यक्ति को जान से मारने की नियत से ईंट पत्थरों से मारा था जिससे उसके सिर और चेहरे पर चोटें आई थी और अभियुक्तगण ने आहत को जान से मारने की धमकी दी थी।

19. आहत भीमसिंह के पुत्र अंबाराम अ.सा.10 का कथन है कि दिनांक 06.06.16 को करीब 11 बजे दिन की बात है। उसके पिता भीमसिंह 05.06.16 को उसके चाचा दरयाबसिंह के यहां इंदौर आये थे। उसने अपने पिता के मोबाईल नंबर 7354834498 पर दिनांक 06.06.16 को फोन किया तो आजाद नगर थाने से किसी तिवारी साहब ने फोन उठाया और बताया कि उसके पिता के साथ मारपीट हुई है और उन्हें एम.वाय.अस्पताल में भर्ती किया गया है फिर उसने इंदौर में अपनी दादी को फोन किया तो वे एम.वाय.अस्पताल गई थी। रात को वह और उसकी मां एम.वाय.अस्पताल गये थे, उसके पिता के सिर में पट्टी बंधी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर में ईंट और पत्थर के घाव है। उसके पिता शर्ट पहने थे जिसमें खून लगा था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि जब उसने अपने पिता को फोन लगाया था तो उसके रिश्तेदार अनिल ने फोन पर बताया कि उसके पिता पूजा से मिलने उसके घर गये थे तो पूजा और उसके पति पारस ने उसके

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

पिता के साथ मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके पिता भीमसिंह का पूजा से पुराना चक्कर चल रहा है ओर जब पूजा गांव आई थी तो इसी बात पर से विवाद हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोहल्ले वालों से उसे यह जानकारी मिली कि उसके पिता के साथ पूजा और उसके पति ने मारपीट कर घायल कर दिया है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके पिता ने भी यह बात बताई थी।

20. घटना के संबंध में परिक्षित अन्य साक्षीगण अरविंद अ.सा.05, सूरज उर्फ कंचन अ.सा.06, संदीप अ.सा.07 और संजीत अ.सा.08 ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्व ारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

21. उप निरीक्षक राजेश डाबर अ.सा.13 का कथन है कि दिनांक 06.06.16 को थाना आजाद नगर के ए.एस.आई.बी.एस. तोमर द्वारा अभियुक्त पूजा और अज्ञात दो व्यक्तियों के विरूद्ध फरियादी संतोष के बताये अनुसार प्रदर्शपी–1 की देहाती नालसी लेखबद्ध की थी जो आरक्षक मनोज द्वारा उसे कायमी हेतु प्रदान की गई थी। उन्होंने देहाती नालसी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्शपी–20 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने व्यक्त किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त पारस और पूजा के अलावा जिन दो अज्ञात व्यक्तियों के बारे में देहाती नालसी में उल्लेख किया गया है उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं, उनकी पहचान कार्यवाही की गई या नहीं।

22. विवेचक उप निरीक्षक आर.एस.तिवारी अ.सा.12 द्वारा प्रकरण की विचेचना के दौरान फरियादी संतोष की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्शपी–2 बनाये जाने का कथन करते हुये आगे यह व्यक्त किया है कि उन्होंने घटना स्थल से ईंट के दो बड़े टुकड़े तथा घटना स्थल पर पड़े खून को रूई से संकलित कर और सादा रूई प्लास्टिक की डिब्बी में बंद की थी और साक्षी संजीत व उमेश की उपस्थिति में जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी–'9 बनाया था

(शासकीय / विधिक जानकारी हेतु प्रतिलिपि, उपयोग हेतु अमान्य)

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी संजीत द्वारा जप्ती की कार्यवाही अपने समक्ष होने से इन्कार किया है किंतु साक्षी उमेश द्वारा प्रदर्शपी–9 की जप्ती की कार्यवाही अपने समक्ष होना बताया है।

23. ए.एस.आई. आर.एस.तिवारी अ.सा.12 ने विवेचना के दौरान जप्तशुदा उक्त संपत्ति एफ.एस.एल जांच हेतु भेजना और दिनांक 07.06.16 को घायल भीमसिंह के कथन देने की स्थिति जानने हेतु चिकित्सक से प्रदर्शपी–19 का लिखित अभिमत प्राप्त करना बताया है।

24. ए.एस.आई शिवनाथसिंह अ.सा.15 द्वारा दिनांक 21.06.16 को घायल भीमसिंह की खून आलूदा शर्ट उसकी पत्नी द्वारा पेश करने पर एम.वाय. अस्पताल में जप्त करना और प्रदर्शपी–5 का जप्ती पंचनामा तैयार करना बताया है। आहत की पत्नी गोखलबाई अ.सा.04 ने भी प्रदर्शपी–5 की जप्ती कार्यवाही उससे होना स्वीकार किया है।

25. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि घटना के किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। आहत भीमसिंह के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और विलुप्तियां हैं। देहाती नालसी लेखबद्ध कराने वाले साक्षी संतोष ने भी देहाती नालसी लेखबद्ध नहीं कराना बताते हुये घटना के बारे में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। देहाती नालसी में अभियुक्त पारस के नाम का उल्लेख नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण के पहचान की कोई कार्यवाही नहीं कराई गई है। आहत का ईलाज करने वाले चिकित्सक और प्राथमिक उपचार करने वाले चिकित्सक से पुलिस द्वारा आहत भीमसिंह की चोटों के संबंध में कोई क्वेरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण घटना संदेहास्पद है।

26. यह सही है कि घटना आहत भीमसिंह की एकल परिसाक्ष्य पर आधारित है। घटना के संबंध में परीक्षित स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और देहाती नालसी लिखाने वाले साक्षी संतोष अ.सा.01 ने भी यद्यपि देहाती नालसी पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है किंतु देहाती नालसी लिखाये जाने से इन्कार किया है किंतु साक्षी संतोष अ.सा.01, मोहित अ.सा.03, उमेश अ.सा.09 ने अपने परिसाक्ष्य में यह अवश्य व्यक्त किया है कि

उन्होंने घटना स्थल पर एक व्यक्ति को मूर्छित अवस्था में देखा था वह खून से लतपथ पड़ा हुआ था। साक्षी मोहित ने यह भी व्यक्त किया है कि मौके पर पुलिस को बुला लिया गया था और आहत को 108 एम्बुलेंस से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था।

27. आहत भीमसिंह अ.सा.02 ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त पूजा से मिलने जाने पर उसके पति पारस द्वारा उसके साथ गाली गलोच करना और उसके सिर पर पत्थर मार देना तथा पूजा द्वारा थी उसे सिर पर ईंट से मारना बताया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना से पूर्व पूजा से ग्राम बलियाखेड़ा में उसका झगड़ा विवाद हुआ था जो इस बात पर हुआ था कि गांव वाले और पूजा को इस बात पर शक था कि वह पूजा पर गलत नियत रखता है और गांव वालों ने रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों को समझाईश दी थी तथा पूजा से मेलजोल नहीं करने को कहा था। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बाद में पूजा से उसके संबंध अच्छे हो गये थे और वह उसे बहन मानने लगा था तथा उनकी बातचीत होने लगी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अभियुक्त पूजा पर गलत नजर रखता था और गलत नियत से पूजा के घर गया था तो दो तीन मोहल्ले के व्यक्तियों ने पूजा के घर से मारपीट कर उसे भगाया था।

28. घटना दिनांक 06.06.16 के सुबह करीब 11 बजे की है और प्रदर्शपी–1 की देहाती नालसी मौके पर ही 20 बजे लेखबद्ध की गई है। घटना दिनांक को आहत भीमसिंह को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस से एम.वाय. अस्पताल ले जाया गया है जिसकी पुष्टि डॉ. श्रीमती शारदा मैत्रा अ.सा.11 के कथनों से होती है। एम.वाय.अस्पताल से अग्रिम उपचार हेतु उसे 23.06.16 को अरविंदो अस्पताल सिफ्ट किया गया जिसकी पुष्टि डॉ.राकेश गुप्ता अ.सा.14 के कथनों से होती है।

29. आहत भीमसिंह अ.सा.02 का बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है किंतु प्रतिपरीक्षण में आहत भीमसिंह के कथन तात्विक रूप से अखंडित रहे है। ऐसी स्थिति में अन्य स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन नहीं किये जाने से आहत भीमसिंह के कथन को अविश्वसनीय नहीं कहा जा

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)
(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सकता है क्योंकि विधि के तहत घटना को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अनिवार्य नहीं है एवं एकल परिसाक्ष्य यदि संदेह से परे विश्वसनीय हो तो दोषसिद्धी के लिये पर्याप्त होती है। घटना दिनांक को आहत भीमसिंह के शरीर पर चोटें होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हुई है। यदि आहत भीमसिंह को अन्य व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर चोटें पहुंचाई जाती तो ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं है कि आहत वास्तविक अपराधियों को प्रकाश में लाने में हितबद्ध नहीं है और न ही प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य सामने आये है जिससे आहत भीमसिंह का आशय अभियुक्तगण को वास्तविक अपराधियों को छोड़कर प्रकरण में मिथ्या आलिप्त करने का प्रकट हो। आहत भीमसिंह के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। अतः आहत भीमसिंह की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं है।

30. आहत भीमसिंह के कथनानुसार अभियुक्त पारस और पूजा ने उसके सिर पर पत्थर और ईंटों से मारपीट की थी जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया था। आहत भीमसिंह की साक्ष्य से उद्‌भूत होने वाले तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रहते हुये यह स्पष्ट है कि दोनों अभियुक्तगण का एक सामान्य आशय था क्योंकि सामान्य आशय कार्यवाही के दौरान भी बन सकता है और अभियोजन पक्ष के लिये यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसा सामान्य आशय प्रारंभ से ही थी।

31. अतः आहत भीमसिंह की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट एवं अन्य साक्ष्य से पुष्ट साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त पारस एवं पूजा ने सामान्य आशय के तहत भीमसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया पूर्वक उपहतियां कारित की।

32. अतः अब विचारणीय प्रश्न यह है कि अभियुक्तगण ने कौन सा अपराध किया है?

33. सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर 1965 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 843 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध हत्या के प्रयास का अपराध सिद्ध करने के लिये भा.द.सं की धारा 300 में वर्णित तीन प्रकार का उद्‌देश्य स्थापित होना चाहिये। अभियुक्त के मस्तिष्क की स्थिति

विद्यमान परिस्थितियों से ज्ञात करना चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि हेतुक एक सुसंगत परिस्थिति रहती है। भा.द.सं की धारा 320 के खंड 8 के अनुसार कोई भी क्षति जो जीवन का संकटापन्न करती है गंभीर क्षति कहलाती है इसका अर्थ यह हुआ कि जो क्षति पाई जाती है वह स्वयं में ऐसी होनी चाहिये कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के जीवन को खतरे में अर्थात संकट में डाल दे।

34. चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता अ.सा.14 की कथन है कि मरीज की एम.आर.आई जांच करने पर उसके दिमाग के अंदरूनी हिस्सों पर राईट पैराईटल टेंपोरल एवं सेरिब्रल में डिफ्यूज एक्जोनल इंजूरी पाई गई थी। आहत भीमसिंह की सीटी स्केन रिपोर्ट प्रदर्शपी–39 के अनुसार उसे निम्न चोटें दिमाग पर पाई गई थी।–

1. comminuted, displaced farctue of
left zygomatic arch
fracture of anterior wall of left maxillary sinus

प्रदर्शपी–31 की एम.आर.आई की रिपोर्ट के अनुसार आहत भीमसिंह के दिमाग में (ब्रेन में) निम्न चोटें पाई गई थी–

Few tiny petechial hemorrhagic foci seen in the right parietal, temporal sub cortical white matter and both medial cerebellar haemispheres and may represent diffuse axonal injury.

35. आहत भीमसिंह का कथन है कि उसे घटना के दो–तीन माह बाद होश आया था। आहत भीमसिंह का प्राथमिक परीक्षण किये जाने वाले चिकित्सक डॉ. श्रीमती शारदा मैत्रा अ.सा.11 ने व्यक्त किया है कि जब आहत उनके पास आया था तो उसकी सामान्य स्थिति खराब थी और वह मूर्छित अवस्था में था। तथा अरविंदो अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉ. राकेश गुप्ता अ.सा.14 ने भी यह व्यक्त किया है कि दिनांक 23.06.16 को जब मरीज अस्पताल आया था तो वह बेहोश अवस्था में था तेज आवाज देने पर आंखे खोलता था धीरे–धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ था 05.07.16 को उसे छुट्टी दे दी गई थी छुट्टी के

समय उसकी स्थिति स्टेबल थी और वह कुछ शब्द बोल पा रहा था एवं आंखे खोलता था।

36. उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य और आई साक्ष्य से यह प्रकट है कि आहत भीमसिंह के अस्थिभंग वाली चोटें जाईगोमेटिक आर्च एवं मैक्जीलरी साईनस के अंदरूनी दीवाल में (दाहिनी तरफ) में पाई गई थी जो कि आंख के नीचे का अंदरूनी भाग होता है। यह सही है कि चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता ने यह स्वीकार किया है कि आहत भीमसिंह के ऑक्सीपिटल एवं पैराईटल भाग में अस्थिभंग नहीं था किंतु आहत भीमसिंह की ब्रेन की एम.आर.आई रिपोर्ट के अनुसार उसके पैराईटल टेंपोरल भाग के फायबर डैमेज हुये थे और छोटे–छोटे खून के थक्का जमा होना पाये गये थे जिससे यह प्रकट है कि आहत भीमसिंह की पैराईट और ऑक्सीपिटल अर्थात दिमाग के अंदरूनी हिस्से में भी गंभीर प्रकृति की चोटें आई थी। चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रकट है कि एम.वाय. अस्पताल से अरविंदो अस्पताल में सिफ्ट होने की अवधि तक आहत बेहोशी की अवस्था में था और 05.07.16 को जब उसे अरविंदो अस्पताल से छुट्टी दी गई तब भी उसकी स्थिति सामान्य नहीं थी और वह पूर्ण रूप से होश में नहीं था। उक्त स्थिति भी यह प्रकट करती है कि आहत भीमसिंह के दिमाग में गंभीर चोटें आई थी।

37. आहत भीमसिंह के कथनानुसार अभियुक्त पारस ने उसके सिर में पत्थरों से और पूजा ने ईंट से मारकर चोटें पहुंचाई है। प्रदर्शपी–13 की एम.एल. सी रिपोर्ट के अनुसार आहत को 6 चोटें पाई गई है जो मुंह और सिर की चोटें है। आहत भीमसिंह के कथन उसकी एम.एल.सी और चिकित्सीय साक्ष्य एवं जांच रिपोर्टो से यह प्रकट है कि अभियुक्तगण द्वारा मात्र एक मार आहत भीमसिंह पर वार नहीं किया गया था, कई बार वार किये गये और सिर जैसे मार्मिक अंग पर वार किये गये जिसके फलस्वरूप उसके सिर में उपरोक्त प्रकृति की गंभीर चोटें आई और वह लंबी अवधि तक बेहोशी की अवस्था में रहा है तथा डिस्चार्ज के समय भी चिकित्सक ने उसकी स्थिति सामान्य नहीं बताई है एवं सिर की चोटों को दृष्टिगत रखते हुये यह भी प्रकट है कि आहत पर पत्थरों और ईंटों से तीव्रता से वार किये गये है। किसी व्यक्ति के सिर जैसे मार्मिक अंग पर पत्थरों

(शासकीय जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

और ईंटो से बार–बार वार करना और तीव्रता से वार करना अभियुक्तगण के उसकी हत्या कारित करने के सामान्य आशय को प्रकट करता है और उक्त परिस्थितियां यह भी प्रकट करती है कि अभियुक्तगण को इस तथ्य का ज्ञान था कि उनके द्वारा की गई मारपीट और वार से आहत की मृत्यु कारित हो सकती है। ऐसी स्थिति में यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सक का कोई अभिमत नहीं लिया गया है किंतु घटना के संबंध में आई साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, चोटों की प्रकृति और आहत की स्थिति और अभियुक्तगण द्वारा किये गये बार–बार वार की प्रकृति से यह प्रकट है कि अभियुक्तगण को आशय आहत भीमसिंह की हत्या कारित करने का रहा है या उन्हें इस आशय का ज्ञान था कि उनकी मारपीट से भीमसिंह की मृत्यु कारित हो सकती है।

38. अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों के आंकलित प्रभाव से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने आहत भीमसिंह की मृत्यु कारित करने के आशय से या ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थितियों में उसे ईंट पत्थरों से मारकर उपहतियां कारित की यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते।

39. अभियुक्तगण पर धारा 506 भाग 2 भा.द.सं के तहत आरोप है। अभिलेख पर घटना के संबंध में आहत भीमसिंह अ.सा.02 की साक्ष्य उपलब्ध है किंतु आहत भीमसिंह ने अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने आहत भीमसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी।

40. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर अभियुक्त पारस एवं पूजा के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 506 भाग 2 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुये धारा 506 भाग 2 भा.द.सं के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

41. किंतु अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 307/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को धारा

(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य) सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि

307/34 भा.द.सं. के आरोप के तहत दोषसिद्ध किया जाता है एवं दंड के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय यही स्थगित किया जाता है।

**आशिता श्रीवास्तव**
**सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर**

**पुनश्च–**

**दंडादेश–**

42. दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण और उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उन्होंने निवेदन किया है कि अभियुक्तगण पति पत्नी है। अभियुक्त पूजा महिला है उनका पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अभियुक्तगण की यह प्रथम दोषसिद्धी है। अभियुक्तगण जेल अभिरक्षा में भी निरूद्ध रहे है। अतः अभियुक्तगण को सदाचरण की परवीक्षा पर छोड़ा जाये और यदि सदाचरण की परवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित न पाया जाये तो अभियुक्तगण को उनके द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि तक के दंड से दंडित किया जाये।

43. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धी होना प्रकट है किंतु अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः अभियुक्त पारस एवं पूजा को धारा 307/34 भा.द.सं. के आरोप की दोषसिद्धी के तहत 7–7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000–2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंडा अदा करने में व्यतिक्रम होने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को 4–4 माह के सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा भुगताई जाये।

44. अभियुक्ता पूजा के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

45. अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि पारित दंडादेश में से मुजरा की जाये इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

46. प्रकरण में जप्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, रूई, शर्ट, पत्थर के टुकड़े अपील अवधि बाद अपील न होने की दशा में नष्ट किये जाये एवं अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

47. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य) सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि

48. निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट इंदौर को भेजी जाये।

निर्णय आज दिनांक को हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित।

आशिता श्रीवास्तव
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर म.प्र.

आशिता श्रीवास्तव
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)